फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

राजेन्द्र कुमार बनाम बनवारीलाल आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट** प्रकरण संख्या 113 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
30.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 33/32 की कुल 14.0660 हैक्ट भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये अकृषि कार्य न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक 19.06.2024 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	
19.6.24	पत्रावली पेश हुई श्रीमानजी पी.ओ. .... अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि० 16/7/24 को पेश हो [initials]	
16.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील सायल/सायल उपस्थित नहीं। पुन: वकील सायल/सायल को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु सायल या सायल का वकील उप. नहीं आए व सायल का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:27:53 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील